महिला शक्ति पुरस्कार

महिला शक्ति पुरस्कार नियम 1996 के तहत विभाग द्वारा प्रति वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है। महिला शक्ति पुरस्कार नियम 1996 के तहत महिला शक्ति पुरस्कार प्राप्त करने हेतु राजस्थान राज्य का नागरिक, जिसने महिला विकास/सशक्तिकरण के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों से निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया हो को पात्र माना जाता है:–

- साक्षरता एवं शिक्षा
- स्वास्थ्य एवं पोषाहार
- समाजिक भेदभाव एवं हिंसा से सुरक्षा
- रोजगारोत्पादक कार्य
- किशोर बालिकाओं के जीवन की गुणवत्ताओं को उन्नत करने हेतु प्रयास
- समाज में महिलाओं के स्तर को उन्नत करना

महिला शक्ति पुरस्कार (संशोधन) नियम 2009 के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पात्र व्यक्ति का चयन करने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में निम्न समिति गठित की गई है:–

1.	मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार	– अध्यक्ष
2.	प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग	– सदस्य
3.	प्रमुख शासन सचिव, महिला बाल विकास विभाग	– सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार सेवायें	– सदस्य
5.	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	– सदस्य
6.	प्रमुख शासन सचिव, प्राथमिक,माध्यमिक एवं संस्कृत शिक्षा	– सदस्य
7.	महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत तीन प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं से एक–एक प्रतिनिधि	– सदस्य
8.	आयुक्त महिला अधिकारिता एवं पदेन शासन सचिव, महिला व बाल विकास	– सदस्य सचिव

महिला शक्ति पुरस्कार संशोधित नियम 2009 के अन्तर्गत रु 51000/– नकद, एक दुशाला तथा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्तकर्ता एवं अधिकतम तीन पारिवारिक सदस्यों, परिचारकों हेतु राजकीय नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता भी देय होता है।

महिला शक्ति पुरस्कार के प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा सामान्य विज्ञापन के माध्यम से राज्य के योग्य व उपयुक्त व्यक्तियों के आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मांगे जाते है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सेवाऐं प्रदान करने वाले को महिला शक्ति पुरस्कार नियम 1996 के नियम 5 के उपनियम 2 (A) के अनुसार गठित समिति स्वविवेक से भी अग्रेषित आवेदन पत्रों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकती है।

महिला शक्ति पुरुस्कार वर्ष 2012–13 का श्रीमती निशा चौहान, श्रीगंगानगर को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए गठित समिति द्वारा चयनित कर विभाग द्वारा दिनांक 5 जून 2013 को सुमेरपुर, जिला पाली में आयोजित महिला सम्मेलन समारोह में प्रदान किया गया था।

महिला शक्ति पुरस्कार वर्ष 2013–14 के लिए उपयुक्त व योग्य व्यक्तियों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन नवम्बर दिसम्बर माह में दिया जायेगा।